

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 834 / 443 / आउशि / अनु-ब / 17
प्रति,

दिनांक 26/04/2018

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
म.प्र.।


विषय:- अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार सातवां वेतनमान स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:- अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 1086/1348 2017/38-3 दिनांक 21.08.17 एवं इस कार्यालय का पत्र दिनांक 29.11.17 एवं 18.01.18, 08.02.18

—00—


विषयांकित जानकारी संदर्भित पत्रों के अनुपालन में अति.संचालक, जबलपुर के पत्र क्रमांक 445 दिनांक 12.02.18 द्वारा अहस्ताक्षरित तथा अति.संचालक, इन्दौर के पत्र क्रमांक 83 दिनांक 10.01.18 द्वारा छायाप्रति के रूप में जानकारी प्राप्त हुई है तथा अन्य संभागों से निर्धारित प्रपत्र में एकजायी कर चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

कृपया आपके संभागांतर्गत संचालित शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के गैर यू.जी.सी. संवर्ग के अशैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन भत्तों के वित्तीय भार की गणना दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में म.प्र. राजपत्र, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-8-1/2006/नियम/चार दिनांक 20.07.17 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(डॉ. सुषमा दुबे) 23/12/18
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
दिनांक 26/04/2018

पृ. क्रमांक 835 / 443 / आउशि / अनु-ब / 17
प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके महाविद्यालय की जानकारी अपने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय को उपलब्ध करावें किंतु, उसकी प्रति इस कार्यालय को अनावश्यक रूप से प्रेषित नहीं करें।
2. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सेल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।


(डॉ. सुषमा दुबे) 23/12/18
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश